DAINIK BHASKAR, Surat, 24.8.2019
Page No. 6, Size:(12.81)cms X (10.87)cms.

बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का मामलाः फिर से शुरू होगा कार्य

सरकार चार गुना ज्यादा मुआवजा के साथ 25% अतिरिक्त पैसा देने के लिए तैयार

सिटी रिपोर्टर | सूरत

बुलेट ट्रेन परियोजना में अटके हुए जमीन अधिग्रहण का कार्य अब फिर से शुरु हो सकता है। ओलपाड के करीब 128 किसानों ने जमीन के भाव बढाने के लिए स्थानीय विधायक कि मदद से राज्य सरकार में अपील किया था। जिस पर राजस्व मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है।

इस संदर्भ में आने वाले सोमवार को किसानों कि तरफ से ओलपाड विधायक मुकेश पटेल गांधीनगर में राजस्व मंत्री कौशिक पटेल के साथ बैठक करेंगे। करीब नौ महीने से किसानों द्वारा यह मांग कि जा रही थी कि उनकी जमीन की कीमतों को बढ़ाया जाए। जिसपर राज्य सरकार ने जिलाधीश से जमीन का पुरा ब्योरा मंगवाया था। इसके बाद अब इसपर आने वाले समय में फैसला ले लिया जाएगा। जिससे बुलेट ट्रेन के जमीन अधिग्रहण का मामला साफ हो जाएगा। बुलेट ट्रेन को शुरु करने के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य रुका हुआ है। इस मामले में किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन की कीमत नहीं मिल रही है। जिसकी वजह से उन्होंने जमीन नहीं दिया था। वहीं, हाई स्पीड रेल कॉरीडोर और केंद्र सरकार कि तरफ से सबको उनकी जमीन के कीमत से ज्यादा पैसा दिए जाने की बात रखी गई है।

स्वेच्छा से जमीन देने वालों को 25% अतिरिक्त मुआवजा

पटेल ने बताया कि सरकार जंत्री रेट का चार गुना ज्यादा देने के लिए तैयार है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान कि जमीन 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो उसे सरकार 2000 रुपए मुआवजे के रूप में देगी। यही नही, उसे स्वेच्छा से दिए जाने पर 25 प्रतिशत और मुआवजा दिया जाएगा। जिसको जोड़कर किसानों को करीब 2500 रुपए मिलेगा। यह किसानों को अन्य कार्यों में लाभ देगा।